राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी–3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर
ई–मेलःadpension.sje@rajasthan.gov.inदूरभाषः 0141–2740637

क्रमांकः एफ 9 (5)(12–II) सासुपे नियम/सान्याअवि/2021–22/2545 जयपुर दिनांकः 28/03/2023

आदेश

वित्तीय वर्ष 2023–24 की बजट घोषणा के अनु. सं. 67 (III) की अनुपालना में 75 वर्ष से कम आयु के सभी वर्ग के पेंशनर्स को प्रति माह देय पेंशन राशि को बढाकर न्यूनतम पेंशन राशि रूपयें 1000 प्रति माह किये जाने की घोषणा की गई है।

अतः राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा, परित्यकता/तलाकशुदा/एकलनारी पेंशन नियम, 2013 के अध्याय–1 के नियम–2 का उपनियम (iv) को निम्नानुसार संशोधित/प्रतिस्थापित किया जाता है :–

नियम–2 (iv)– पेंशन की राशि से अभिप्रेत है, सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत स्वीकृत मासिक भुगतान राशि से है, जो निम्नानुसार है –

वृद्धावस्था पेंशन –

1.	75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को	रू. 1000 प्रति माह
2.	75 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर को	रू. 1000 प्रति माह

विधवा, परित्यकता/तलाकशुदा/एकल नारी पेंशन –

1.	75 वर्ष से कम आयु की विधवा, परित्यकता/ तलाकशुदा/एकलनारी पेंशनर को	रू. 1000 प्रति माह
2.	75 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की विधवा, परित्यकता/ तलाकशुदा/एकल नारी पेंशनर को	रू. 1500 प्रति माह

यदि प्रार्थी राजस्थान सरकार/केन्द्र सरकार/अन्य राज्य सरकार/स्थानीय निधि या किसी कानूनी निकाय, निगम, प्राईवेट निकाय/संस्था या अन्य स्त्रोत से पेंशन, निर्वाह भत्ता या अन्य कोई लाभ प्राप्त कर रहा हो तो वह उक्त वर्णित पेंशन या लाभ में से जो भी लाभदायक हो, पाने का अधिकार होगा।

यह आदेश वित्त (व्यय–2) विभाग की अन्तर्विभागीय टीप संख्या 162300430 दिनांक 21.03.2023 से प्राप्त सहमति के अनुक्रम में जारी किये जाते है।

उक्त संशोधन/प्रतिस्थान आदेश दिनांक 01.05.2023 से प्रभावी होगा। इसका तात्पर्य माह मई 2023 की पेंशन का भुगतान बढ़ी हुई दरों से माह जून 2023 में देय पेंशन राशि से है।

(डॉ. समित शर्मा)
शासन सचिव

Signature valid
Digitally signed by Samit Sharma
Designation: Secretary To Government
Date: 2023.03.28 10:23:15 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3498014

क्रमांक :—एफ.9(05)(12—II)सासुपें नियम/सान्याअवि/2021—22/2546-2663 जयपुर दिनांक 28-03-2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज.जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान जयपुर को अपने अधीनस्थ संबंधित विकास अधिकारियों को सूचित करने हेतु।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
7. संभागीय आयुक्त (समस्त)/जिला कलक्टर (समस्त) को अपने अधीनस्थ संबंधित उपखण्ड अधिकारियों को सूचित करने हेतु।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकरी, जिला परिषद समस्त को अपने अधीनस्थ संबंधित विकास अधिकारियों को सूचित करने हेतु।
9. अतिरिक्त निदेशक, आई एफ एम एस, निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर।
10. वरिष्ठ निदेशक, (तकनीकी) एनआईसी वित्त भवन जयपुर।
11. उप निदेशक (आई टी)/एसीपी (पेंशन) कप्यूटर शाखा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
12. समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।

शासन सचिव

Signature valid

Digitally signed by Samit Sharma
Designation: Secretary To Government
Date: 2023.03.28 10:23:15 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3498014